245

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1669–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनॉक 28–4–2005 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 315/2000–01 अपील

1– अमरनाथ शर्मा पुत्र जयनाथ शर्मा
2– बृजमोहन शर्मा पुत्र जयनाथ शर्मा
3– राकेश शर्मा (मृतक) पुत्र जयनाथ शर्मा
वारिस
अ– श्रीमती सरिता पत्नि स्व.राकेश
ब– सत्येन्द्र शर्मा पुत्र स्व.राकेश
4– मुकेश शर्मा पुत्र जयनाथ शर्मा
सभी निवासी किला रोड भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शीलादेवी पुत्र रामसेवक काछी
पत्नि बाबूराम काछी
2– छोटे पुत्र विशाला काछी
मोहल्ला गढइया मेहतराम भिण्ड
3– सूर्यहॅश चेला चुन्नीलाल ब्राहमण
अवयस्क संरक्षक पिता कमलकृष्ण जती
निवासी मोहल्ला गौरी का किनारा
भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)

आ दे श

(आज दिनांक 18 –1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के प्रकरण कमांक 315/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–8–2003 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 30/1984-85 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 19-11-1986 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित भूमि पर छोटे एंव रामसेवक का समान भाग पर नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 131/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-5-88 से अपील ऑशतः स्वीकार की जाकर नायव तहसलदार का आदेश दिनांक 19-11-86 निरस्त किया एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि अपर आयुक्त चंबल संभाग के आदेश दिनांक 14-2-1979 के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही की जावे। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील क्रमांक 315/2000-02 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14-8-2003 से अपील निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 18-5-88 स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र 2,3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण की मुख्य आपत्ति यह है कि नायव तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18-5-88 दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जाय तथा अपर आयुक्त व्दारा स्वयं् के आदेश दिनांक

28-10-77 से हटकर आदेश दिनांक 14-8-2003 में जो निर्णय लिया है वह भी दोषपूर्ण हो जाने से निरस्त किया जाय एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28-10-77 के क्रम में कार्यवाही अमल में लाई जावे। प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करने से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14-2-79 को पुनरावलोकन में लिये जाने की मांग अपर आयुक्त के समक्ष अपील क्रमांक 315/2000-01 में की गई थी, जो अपर आयुक्त ने इस आधार पर नहीं मानी है कि आदेश दिनांक 14-2-79 का पुनरावलोकन करने के लिये अपर आयुक्त सक्षम नहीं है। यह सही है कि पूर्वाधिकारी व्दारा पारित आदेश , जो अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम है, अपर आयुक्त पुनरावलोकन करने हेतु सक्षम नहीं है। इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 14-8-2003 में अपर आयुक्त व्दारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है। अन्य मांग यह है कि नायव तहसीलनदार ने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28-10-77 के अनुरूप कार्यवाही नहीं की है। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14-8-03 में विवेचित किया है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14-2-79 से केवल रामसेवक के हित में नामान्तरण करने के आदेश दिये गये थे जबकि नायव तहसीलदार ने छोटे व रामसेवक के नाम समभाग पर नामान्तरण स्वीकार किया है , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 131/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-5-88 से नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। उभय पक्ष को पुर्नसुनवाई के दौरान विचारण न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने के समुचित अवसर है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग ,

मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 131/1987-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-5-88 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 315/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 में विस्तृत विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 315/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर